उक्त मुख्यमंत्रियों द्वारा उठायी गयी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मांगों में से प्रत्येक के प्रति सरकार का रुख क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर के विकास को तेज करने के लिए पहले घोषित पैकेजों का वास्तविक रुप से मुल्यांकन करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनाओं/परियोजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के बारे में प्रधान मंत्री ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक 8 मई, 1998 को नई दिल्ली मे बुलायी थी।

बैठक के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों में अन्य के साथ-साथ शुक्ला आयोग की सिफारिशों को लागू करना, पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों और संचार सुविधाओं में सुधार इत्यादि सम्मिलित है।

सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि विनिर्दिष्ट केन्द्रीय मंत्रालयों के योजना परिव्यय के 10% रिजर्वेशन के अप्रयुक्त बकाया का उपयोग करके शुक्ला आयोग द्वारा संतुत स्कीमों/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुं सालाना उपलब्ध किया जा सकता है। पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन करने के लिए संसद के इस सत्र में विधायन प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक व्यापार इत्यादि में सुधार का संबंध है, यह मामला वाणिज्य और विदेश मंत्राल्य के माध्यम पड़ोसी देशों के साथ उठाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओम

*5. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के भांडेरे क्षेत्र में गैस-आधारित विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत, विद्युत उत्पादन

(घ) यदि हां, तो राज्य में किसानोम तथा उद्योगों को भांडरे परियोजना से प्रति यूनिट किस मूल्य पर विद्युत आपूर्ति की जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य में मैसर्स भांडेर पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 342 में.वा. भांडेर संयुक्त साईकल विद्युत केन्द्र को 197.622 मिलियन अमरीकी डालर + 346.514 करोड़ रुपये की अनुमानित समग्र लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक रुप से स्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली का क्रियान्वयन एमपीईबी द्वारा अपने स्वयं की शक्तियों द्वारा किया जाएगा क्योंकि स्कीम की लागत 100 करोड़ रुपये से कम होने के कारण इसे के.वि.प्रा. की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। परियोजना से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को की जाएगी।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य में किसानोम और उद्योगों को विद्युत की बिक्री दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। तथापि, भांडेर परियोजना से उत्पादित विद्युत राज्य ग्रिड में एकत्रित की जाएगी और इन उपभोक्ताओं को सीधे इसकी आपूर्ती नहीं की जाएगी।

Punishments to BSF personnel

*6. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a)whether dismissal from the service and withholding retirement benefits for unauthorised absence from duty in BSF coresitute two punishments for one wrong as per the Supreme Court ruling in Mahanga Singh case of 1992;

(b)if so, the reasons for serving such two punishments to the BSF personnel for one wrong and the names of such aggrieved personnel since 1987; and

(c)the remedial steps taken by Government to bring just the baf